



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23092022-239021
CG-DL-W-23092022-239021

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, सितम्बर 4— सितम्बर 10, 2022, शनिवार/ भाद्र 13—भाद्र 19, 1944
No. 32] NEW DELHI, SEPTEMBER 4—SEPTEMBER 10, 2022, SATURDAY/BHADRA 13—BHADRA 19, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 118.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, (विष विज्ञान) भर्ती नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय, विष विज्ञान भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

2. वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय (विष विज्ञान) भर्ती नियम, 2021 की अनुसूची में, क्र. स. 4 के सामने, उप निदेशक (विष विज्ञान) के पद से संबंधित स्तंभ (4) में, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर (66700 - 208700 रुपए)” के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी,

अर्थात:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11(67700 - 208700/- रुपए)”।

[फा. सं. 12028/01/2019-पीपी स्था.(अंश)(110968)]

अरूण कुमार, सिंह अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 77 द्वारा तारीख 15 जुलाई, 2021 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

New Delhi, the 1st September, 2022

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Toxicology Recruitment Rules, 2021, namely:-

- (1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Toxicology Recruitment, (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Toxicology Recruitment Rules, 2021, in the Schedule, against serial number 4, relating to the post of Deputy Director (Toxicology), in column (4), for the entry “Level 11 in the pay matrix (Rs 66700-208700/-)”, the following entry shall be substituted namely:-

“Level 11 (Rs 67700-208700/-) in the pay matrix”.

[F. No. 12028/01/2019-PP Estt. (Part)(110968)]

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

Note: The principal rule was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide G.S.R. 77, dated the 15th July, 2021.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 2022

सा.का.नि. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (प्रयोगशाला सहायक) भर्ती नियम, 1992 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल**- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्समें लेवल (4)
कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद।	39*(2022) 1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अहमदाबाद-1 2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इलाहाबाद-1 3. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चैन्नई-5 4. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली-1 5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हैदराबाद- 2 6. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जयपुर-4 7. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कानपुर-4 8. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कोलकाता- 6 9. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लखनऊ- 2 10. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुंबई- 7 11. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नागपुर- 2 12. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पटना- 3	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित गैर मंत्रालयी।	लेवल-5, वेतन मैट्रिक्स (29,200/- 92,300/- रु.)

	13. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पुणे- 1 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		
--	--	--	--

चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं	18 से 27 के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी से संबंधित सरकारी कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक की छूट)। टिप्पण 1: आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप- प्रभाग, और लद्दाख संघ शासित क्षेत्र ,अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश में इनके लिए निर्धारित अंतिम तारीख)। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के जरिए की गई भर्ती के मामले में आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	I. अनिवार्य अर्हताएं: (i). मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12 वीं। (ii). केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव के साथ डिप्लोमा। II. वांछनीय अर्हताएं: केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक डिग्री। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी का मत है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदाय के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिनके पास अपेक्षित अनुभव है तो इन समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधित योग्यता में छूट दी जाती है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की	सीधी भर्ती द्वारा

	अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	
--	---	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए विचार हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे: - अपर निदेशक, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा अपर निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) —अध्यक्ष - मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना —सदस्य - प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा अपर निदेशक, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा नामित उसी सी जी एच एस शहर से सम्बंधित समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं।

[फा. सं. ए. 12018/13/2018-सीजीएचएस-1]

मनोज कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Central Government Health Scheme Division)

New Delhi, the 27th June, 2022

G.S.R. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme (Laboratory Assistant) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Medical Laboratory Technologist, in the Central Government Health Scheme, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Junior Medical Laboratory Technologist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification - No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)
Junior Medical Laboratory Technologist.	39* (2022) 1. Central Government Health Scheme, Ahmedabad - 1 2. Central Government Health Scheme, Allahabad - 1 3. Central Government Health Scheme, Chennai - 5 4. Central Government Health Scheme, Delhi - 1 5. Central Government Health Scheme, Hyderabad - 2 6. Central Government Health Scheme, Jaipur - 4 7. Central Government Health Scheme, Kanpur - 4 8. Central Government Health Scheme, Kolkata - 6 9. Central Government Health Scheme, Lucknow - 2 10. Central Government Health Scheme, Mumbai - 7 11. Central Government Health Scheme, Nagpur - 2 12. Central Government Health Scheme, Patna - 3 13. Central Government Health Scheme, Pune - 1 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix (4)	Whether selection post or non-selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)
Level - 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)	Not applicable	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in the case of general

		candidates and up to the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing dates for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.
--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
I. Essential qualifications : (i) 12th Class pass from a recognised Board with Science Subject and (ii) Diploma in 'Medical Laboratory Technology' from the Central or State Government recognised institution or University with one year relevant experience. II. Desirable qualification: Bachelor Degree in Medical Laboratory Science from a Central Government or State Government recognised institution or University. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidate otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedules Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment	Not applicable
Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.		

Departmental Promotion Committee, if any, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director, concerned Central Government Health Scheme city - Chairman ; or Additional Director Central Government Health Scheme (Headquarter) 2. Chief Medical Officer, concerned Central Government Health Scheme city -Member ; 3. Administrative Officer, Establishment concerned Central Government Health Scheme city or a Group 'A' Officer of concerned Central Government Health Scheme city as nominated by Additional Director of concerned Central Government Health Scheme city - Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/13/2018-CGHS-I]

MANOJ KUMAR VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 120.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता (आशुलिपिक श्रेणी-I श्रेणी II और श्रेणी III) भर्ती नियम 1994 को, जहां तक उन का संबंध आशुलिपिक श्रेणी-2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता में आशुलिपिक श्रेणी-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, आशुलिपिक, श्रेणी-II, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
आशुलिपिक-श्रेणी-II	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 – (25500–81100 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (II) कौशल परीक्षा मानदंड: श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति 10 मिनट की गति से, अनुलिपिकरण: 65, (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिंदी) (मैन्युअल टाइपराइटर पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर)। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुभर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातिओं या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अरक्षित व्यक्तियों को भरने से लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती

	टिप्पणः केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहीन परीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य अभिप्रेरण प्रशिक्षण होगा।	टिप्पणः पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या बीमारी अच्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भारी जा सकेंगी; (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
--	---	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे। - निदेशक, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकत्ता – अध्यक्ष - उप औषधि नियंत्रक (भारत) निदेशक, पूर्व जोन, कोलकत्ता या उपनिदेशक केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकत्ता - सदस्य - निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रयोगशाला का एक समूह 'क' या समूह 'ख' अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं.ए-12014/23/2020-डीआरएस(पार्ट.)]

बिकास आर महातो, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd September, 2022

G.S.R. 120.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Drugs Laboratory, Calcutta (Stenographer Grade-I, Grade-II and Grade-III) Recruitment Rules, 1994, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II, in the Central Drugs Laboratory, Kolkata, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Central Drugs Testing Laboratory, Stenographer Grade II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade II.	01* (2022) *subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group 'C, Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500 – 81100).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in case of general candidates and up to the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
i) 12th class pass from a recognised Board. (ii) Skill test norms. Dictation: 10 minutes @80 word per minutes Transcription: 65 minutes (English) 75 minutes (Hindi) (on manual typewriter); or 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) (on computer). Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates	Not applicable

otherwise well qualified.	
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation /absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government, - (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Central Drugs Laboratory, Kolkata — Chairman; 2. Deputy Drugs Controller(India), East Zone, Kolkata or Deputy Director, Central Drugs Laboratory, Laboratory, Kolkata — Member; 3. Group 'A' or Group 'B' officer of the Laboratory to be nominated by Director — Member.	Not applicable.

[F.No. A-12014/23/2020-DRS(pt.)]

BIKASH R MAHATO, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे, पर्यवेक्षक व्यावसायिक मार्गदर्शन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1988 को, जहाँ तक उनका संबंध पर्यवेक्षक व्यावसायिक मार्गदर्शन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में पर्यवेक्षक, व्यावसायिक निर्देशन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, पर्यवेक्षक (व्यावसायिक निर्देशन) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
पर्यवेक्षक (व्यावसायिक निर्देशन)	01*(एक) (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच* *(यदि पद को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाता है तो, यह 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होगी।) (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	आवश्यक अर्हताएँ: 1 किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष। 2 किसी भी व्यवसाय, अर्थात् फोटोग्राफर, पेंटिंग, कारपेंटर या कम्प्यूटर में आईटीआई/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम। 3 फोटोग्राफी/ पेंटिंग/कारपेंटरी/कम्प्यूटर में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: व्यावसायिक निर्देशन विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19,900-63,200 रुपये) में अनुदेशकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी;

		(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जो वेतन मैट्रिक्स मेंस्तर-2(19900-63,200 रुपये) में पद पर आठ वर्ष की नियमित आधार पर सेवा की हो। (ख) जो स्तंभ(7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव रखते हों। टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक - अध्यक्ष; 2. प्रोफेसर (भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास) -सदस्य; 3. उपनिदेशक (पुनर्वास) -सदस्य; 4. संबंधित विभागाध्यक्ष -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं.ए.11018/47/2016-एमएच II/एन.सी. डी.1]

धर्मेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 5th September, 2022

G.S.R. 121.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay Supervisor Vocational Guidance (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the post of Supervisor, Vocational Guidance, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Supervisor, Vocational Guidance in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Supervisor (Vocational Guidance) (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Supervisor (Vocational Guidance)	1(One)* (2022) *subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100)	Non-selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 25 years* *(In case of post being filled up by all India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir Union territory, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from	Essential qualification: - Higher Secondary or equivalent from recognised Board. - ITI/Certificate course in any of the trades, namely Photographer, Painting, Carpenter, Computer; - Two years' experience in Photography/Painting/Carpentry/Computer. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	
--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No	Two years	By promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Instructor from Vocational Guidance Department in the level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade. Deputations (including short term contract): Officers of the Central Government or State/Government; (a) (i) holding analogous post on regular basis' or (ii) with eight years regular service in the post in level 2 (Rs.19900-63,200) of the pay matrix. (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation/observation shall be "Not exceeding 56 year's as on the closing date of receipt of applications".	Departmental Promotion Committee for Group 'C' for considering Confirmation/ Promotion (consisting of):- 1. Additional Director -Chairman 2. Professor (Physical Medicine and Rehabilitation) - Member 3. Deputy Director (Rehab) -Member 4. Concerned Head of Department -Member	Not applicable.

[F. No. A.11018/47/2016-MH. II/NCD.I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रभारी अधिकारी (एम्बुलेंस) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रभारी अधिकारी(एम्बुलेंस), (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रभारी अधिकारी(एम्बुलेंस)	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों: (i) मोटर कार चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (ii) मोटर क्रियाविधि का ज्ञान (अभ्यर्थी को यानों की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए); (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय: होम गार्ड या स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/06/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 8th September, 2022

G.S.R. 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Officer In-charge (Ambulance) in the Safdarjung Hospital, New Delhi namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Safdarjung Hospital, New Delhi, Officer In-charge (Ambulance), (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of the said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. Disqualification.— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Officer in-Charge (Ambulance)	1* (2022) Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay-matrix (Rs.44900-142400)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	Deputation	Deputation : Officers of the Central Government or the State Governments or Union territories : (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' service to the post on regular basis rendered after appointment in Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b)possessing the following educational qualifications and experience: (i) possession of valid driving license for motor cars; (ii)Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles). (iii) Experience of driving a motor car for at least three years and passed in 10th Standard. Desirable: Three years' service as Home Guard or Service Volunteer. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation

	shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/06/2019-MHII]

GANESH KUMAR, Under Secy.

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय**(पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग)**

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा. का. नि. 123.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में ज्येष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय शिलांग, ज्येष्ठ सचिवालय सहायक (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचि के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूचि के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ सचिवालय सहायक	17* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'(अराजपत्रित) अनुसचिवीया।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100)/-	अचयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति। (1) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/- रु.) में ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक के समूह 'ग' पद के पदाधिकारियों में से जिन्होंने उस पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारियों में से : - जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या - जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 /- रु.) या समतुल्य में कनिष्ठ सचिवालय

	सहायक के पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे – - निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग - अध्यक्ष, - अवर सचिव, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य, और - सहायक सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. NEC-17/33/2021-O/o US (NEC)]

अंजना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat Shillong)

New Delhi, the 27th July, 2022

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Secretariat Assistant in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Senior Secretariat Assistant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Secretariat Assistant.	17* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), Ministerial	Level-4 (Rs. 25500 - 81100/-).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.
(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection post	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation	Promotion : (i) From amongst officials in the Group 'C' post of Junior Secretariat Assistant who have rendered eight years of regular service in the post in level 2 (Rs. 19900 – 63200/-) in the matrix. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

		Deputation : Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Junior Secretariat Assistant in level 2 (Rs. 19900 – 63200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. Note1: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fiftysix years as on the closing date of the receipt of applications.
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Director or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council Secretariat, Shillong -Chairman 2. Under Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region, New Delhi and Member; and 3. Assistant Secretary, North Eastern Council Secretariat, Shillong – Member.	Not applicable.

[F. No. NEC-17/33/2021-O/o US (NEC)]

ANJANA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा. का. नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक इसका संबंध ट्रेसर पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में ट्रेसर पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, ट्रेसर वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, २०२२ है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचि के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूचि के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ट्रेसर	1* (2022)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.)	लागू नहीं होगा।

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।			
--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।
(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती हैं।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बाउपखंड पांगी के जिले-, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) कर्मचारी आयुसीमा, अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिसे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की गई हो।	आवश्यक: 1) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या इसके समतुल्य उत्तीर्ण। वांक्षनीय: ट्रेसर के रूप में कम-से-कम एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो :- (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1 निदेशक या - अध्यक्ष उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर	लागू नहीं होता।

		शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो। टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	परिषद 2 कार्यपालक - सदस्य इंजीनियर (सिविल), पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय, शिलांग 3 सहायक - सदस्य सचिव, पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय, शिलांग	
--	--	--	---	--

[फा. सं. NEC-17/39/2020-O/o US (NEC)]

अंजना, अवर सचिव

New Delhi, the 27th July, 2022

G.S.R. 124.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'C' Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Tracer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tracer in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Tracer (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tracer	1* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted	Level 3 (Rs.21700-69100)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.) Note 2: The crucial date for the determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: (i) 12 th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University. Desirable: At least one year's experience as Tracer.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment failing which by deputation	Deputation: From amongst the officers under the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and (b) Possessing educational and other qualifications as prescribed in column (7) for direct recruits. Note 1: Period of deputation including period of another ex-cadre post held immediately preceding this

		appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years). Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council- Chairman 2. Executive Engineer (Civil), North Eastern Council Secretariat, Shillong - Member 3. Assistant Secretary, North Eastern Council Secretariat, Shillong -Member.	Not applicable.

[F. No. 17/39/2020-O/o US (NEC)]

ANJANA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 125—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग) वर्ग 'ग' पद (भर्ती नियम 2004, को, जहां तक उनका संबंध ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ) : 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1) समूह 'ग' पद (भर्ती नियम 2022, है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. SSनिरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-I	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	लेवल-5 (29200 - 92300/- रु.)

चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण-1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन में दी गई तारीख होगी।	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, या, किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप में प्रमाणपत्र, और, ऑटोकैड) AutoCAD (पर एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के किसी भी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों या अर्ध-सरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों में प्रासंगिक क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण :1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार	लागू नहीं होता

		शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण :2-अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
--	--	---	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ट्रेसर के समूह 'ग' फीडर पद के अधिकारियों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-3 (21700-69100 रुपये) में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की है और निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं: (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप में सर्टिफिकेट कोर्स; (ii) ऑटोकैड पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ

	राज्य-क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या वैधानिक या स्वायत्त या अर्ध सरकारी संगठनों के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों, या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25500-81100/- रुपये) में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-3 के वेतनमान (21700-69100/-रुपये) में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप में सर्टिफिकेट। (ii) ऑटोकैड के क्षेत्र में अनुभव। टिप्पण-1: फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय - अध्यक्ष; 2. आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग में अवर सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी - सदस्य; 3. कार्यकारी अभियंता (सिविल), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग -सदस्य। समूह ग विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: - 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय: -अध्यक्ष; 2. आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग में अवर सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी -सदस्य 3. कार्यकारी अभियंता (सिविल), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. NEC-17/2/2022-O/o US (NEC)]

संदीप सिंह, उप सचिव

New Delhi, the 27th July, 2022

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Draftsman Gr. I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draftsman Grade I in the North Eastern Council Secretariat, Shillong under the Ministry of Development of North Eastern Region, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Draftsman Grade I (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Draftsman Grade I	02* (2022) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), Ministerial	Level 5 (Rs. 29200-92300/)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: (i) Diploma in Civil Engineering from the recognized University or Institute; or, (ii) Certificate in Draughtsmanship from an Industrial Training Institute; and (iii) one year's experience on AutoCAD. Desirable: At least one year's experience in the relevant field in any organization of the Central Government, State Governments or Union territory Administration or in public sector undertakings or recognized research institutions, Universities or semi-Government or statutory or autonomous organizations. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable

	Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
--	---	--

(9)	(10)	(11)
Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Promotion: From amongst officials in the Group 'C' feeder post of Tracer who have rendered ten years of regular service in the post in level 3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix and possessing the following educational qualifications: (i) certificate course in Draughtsmanship from an Industrial Training Institute; (ii) successfully completed training on AutoCAD. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract) : From officers under the Central Government or State Governments or Union territory administration or public sector undertakings or Universities or recognized research institutions or statutory or autonomous organizations or Semi Government (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of level 3 in pay matrix (Rs. 21700-69100/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience:

		(i) Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institute or Certificate in Draughtsmanship from an Industrial Training Institute. (ii) Experience in the field of AutoCAD. Note 1: The departmental Officers in the Feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years). Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--

(12)	(13)
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Director or Deputy Secretary (Administration) North Eastern Council Secretariat -Chairman 2. Officer of the level of Under Secretary or above in the Commissioner of Income Tax Office, Shillong -Member 3. Executive Engineer (Civil), North Eastern Council Secretariat, Shillong -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council Secretariat -Chairman 2. Officer of the level of Under Secretary or above in the Commissioner of Income Tax Office, Shillong - Member 3. Executive Engineer (Civil), North Eastern Council Secretariat, Shillong -Member.	Not applicable.

[F. No. NEC-17/2/2022-O/o US (NEC)]

SANDEEP SINGH, Dy. Secy.